

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 10(7)ग्रावि/नरेगा/संविदा/2010 पार्ट-1।

जयपुर, दिनांक

24 JAN 2012

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद उदयपुर।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुबंधित लेखा सहायक कार्मिकों को
10 प्रतिशत वेतन वृद्धि प्रकरणों के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक एफ 17(15)जिप/संस्था/नरेगा कार्मिक/11-12/8133
दिनांक 04.01.12

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि ऐसे संविदा लेखा सहायक, जिनकी रिट याचिकाएं अभी माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं एवं उनमें स्थगन आदेश प्रभावी है। यदि ऐसे लेखा सहायकों ने इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 28.02.11 के साथ संलग्न अनुलग्नक-“क” पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा उनके द्वारा दायर याचिका वापिस लेने की लिखित में सहमति दे दी गई है, तो ऐसी स्थिति में इन्हें भी सेवा संतोषजनक होने पर 10 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि दे दी जावे।

भवदीय

(बद्रीनारायण)

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त (जिला परिषद उदयपुर को छोड़कर)
2. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय, ईजीएस